To Provide Ownership Rights

*47 Sh. ISHWAR SINGH (Guhla):

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state that:-

- a) the number of the lease holders and settlers who are farming on the Panchayati land since the year 1952 in Guhla Assembly Constituency; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the ownership rights to these lease holders togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

Sh. Devender Singh Babli

Development & Panchayats Minister, Haryana

Sir,

- a) There are about 1350 persons who are cultivating approximately 4285.5 acres of Panchayat land since 1950s and 1960s in Guhla Constituency.
- Yes, Sir. There is a proposal under consideration of Government to bring about an amendment in the Haryana Village Common Lands (Regulations) Act, 1961. A Committee consisting of the Chief Minister as Chairperson, Deputy Chief Minister, Urban Local Bodies Minister and Development & Panchayats Minister besides officers has been consitituted and the proposal would be finalized on the basis of the report of the Committee after it is submitted.

मलिकाना हक प्रदान करना

*47 श्री ईश्वर सिंह (गुहला)ः

क्या उप मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि:-

- (क) गुहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1952 से पंचायती जमीन पर खेती कर रहे पट्टेदारों तथा आबादकारों की संख्या कितनी है ; तथा
- (ख) क्या इन पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

श्री देवेन्द्र सिंह बबली

विकास एंव पंचायत मंत्री, हरियाणा

श्रीमान् जी,

- (क) गुहला निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1350 व्यक्ति तकरीबन 4285.5 एकड़ पंचायती भूमि पर 1950 तथा 1960 के दशक से खेती कर रहे हैं।
- (ख) हां, श्रीमान् जी। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन लाये जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारीगण के अलावा उप मुख्यमन्त्री शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री तथा विकास एवं पंचायत मन्त्री की एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट, प्रस्तुत होने के पश्चात्, इसके आधार पर प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाएगा।